

री के वाय सी के लिए नटेरन एवम करारिया में आर बी आई ने लगाया कैंप

दैनिक अमराई समाचार सोनू
यादव गोलगा

रामशाबाद। आर बी आई रीजनल हेड रेखा चंदनावली ने बताया कि खाताधारक के खाता को सुरक्षित एवं चलायमान रखने के लिए री के वाय सी बहुत जरूरी है।

नटेरन नटेरन जनपद सभागृह एवम करारिया चौराहे में भारतीय स्टेट बैंक जन सुरक्षा कैंप लगाया गया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के क्षेत्रीय निदेशक सुश्री रेखा चंदनावली तथा भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल सर्किल, नेटवर्क-1 के महाप्रबंधक कुंदन ज्योति

क्षेत्री महा प्रबंधक विनय कुमार एसडीएम अजय पटेल लीड बैंक प्रबंधक भगवान सिंह बघेल भारतीय रिजर्व बैंक के एल डी.ओ.नवनीत तिवारी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशपाल रघुवंशी मुख्य रूप से उपस्थित रहे यशपाल रघुवंशी ने कहा कि सभी खाता धारक री केवाईसी जरूर करवाएं ताकि समय पर शासकीय योजनाओं की राशि जमा हो सके। और किसी अपरिचित को ओ टी पी न दे और नटेरन ब्रांच के प्रबंधक मयंक द्विवेदी द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया।

कैंप के दौरान रीजनल हेड सुश्री रेखा चंदनावली ने भारतीय रिजर्व बैंक का नियम है कि 10 साल बाद खाते को अपडेट किया जाता है अपडेट के लिए ईकेवाईसी बहुत जरूरी और आवश्यक है अगर हम केवाईसी नहीं करवाएंगे



ते हमारा खाता असुरक्षित हो जाएगा 10 मिनट की बहुत सिंपल प्रक्रिया है क्योस्क सेंटर पर पहुंचकर केवाईसी होना जरूरी है शासन द्वारा मिलने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं का पैसा बिल्कुल बंद हो जाएगा ई के वाय सी होगा तब ही हमारा खाता सुरक्षित होगा।

क्षेत्रीय महाप्रबंधक भोपाल कुंदन ज्योति ने बताया कि जन सुरक्षा कैंप के द्वारा आपकी बैंक आपके द्वारा पहुंचकर आपके गांव में ही खाताधारकों के खातों की री के वाय सी का कार्य किया जा रहा है। यह बहुत आवश्यक है।

सभी खाता धारक से आग्रह है कि बैंक द्वारा 20 रुपए का बीमा आवश्यक रूप से करवाएं एवं 436 का जीवन ज्योति बीमा इन दोनों योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

महाप्रबंधक कुंदन ज्योति प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं।

आरबीआई के नियमानुसार 10 वर्ष के बाद खाते का अपडेट होना बहुत जरूरी है जिसके लिए ई के वाय सी करवाना आवश्यक है।

इस अवसर पर अभिजीत अश्विनी

कुमार रामू सिलावट शिवम सिंह प्रतीक गुप्ता क्योस्क संचालक रमाकांत तिवारी सतीश कुशावह।

इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा खातों में री-के.वाय.सी. एवं अप्रचलित खातों के री के.वाय.सी. को अपडेट कर उन्हें प्रचलित करने से संबंधित लाभ एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करना है।